कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक – शिविरा–माध्य/भण्डार/5803/19–20/ दिनांकः 29.8.2019

दर अनुबन्ध निविदा (बोली) सूचना सं. 02/2019–20

कार्यालय के उपयोगार्थ स्टेशनरी एवं कम्प्यूटर स्टेशनरी सामग्री इत्यादि हेतु दर अनुबन्ध (Rate Contract) वित्तीय वर्ष 2019–20 (निविदा स्वीकृति के एक वर्ष तक) हेतु मोहरबंद निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय में निर्धारित निविदा शुल्क राशि रू0 500/– नकद जमा करवाकर दिनांक 11.09.19 को अपरान्ह 03.00 बजे तक कार्यालय के भण्डार अनुभाग से प्राप्त की जा सकेगी।

निविदा प्रपत्र विभाग की वेबसाईट education.rajasthan.gov.in पर एवं sppp.rajasthan.gov.in पर देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है। डाउनलोड की गई निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू0 500/– का डी0डी0/बैकर्स चैक "निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर" के पक्ष में बनवाकर संलग्न करना होगा।

निविदाऐं दिनांक 12.09.19 को दोपहर 03:00 बजे तक प्राप्त की जाकर उसी दिन सायं 04.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। उक्त तिथियो में राजकीय अवकाश घोषित होने पर समस्त कार्यवाही अगले कार्य दिवस में सम्पादित की जायेगी।

क्र. सं.	सामग्री का विवरण	अनुमानित मूल्य	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	दर अनुबन्ध अवधि (एक वर्ष)
1	लेखन, मुद्रण एवं कम्प्यूटर प्रिन्टर सामग्री	8.20 लाख	16400/–	500/–	वित्तीय वर्ष 2019–20

निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि रू0 16400/– डी0डी0/बैकर्स चैक "निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर" के पक्ष में बनवाकर संलग्न करना होगा।

उप निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/भंडार/5839/19–20/ दिनांक : 29.8.2019

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि बोली को विभागीय वेबसाईट education.rajasthan.gov.in & sppp.rajasthan.gov.in पर अविलम्ब अपलोड करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
2. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
3. उपापन/निविदा समिति,संयोजक/सदस्य.....
4. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

(वेबपोर्टल पर अपलोड हेतु)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

टेण्डर फार्म शुल्क 500/–रुपये

दर अनुबन्ध निविदा का प्रारुप

1. .....(वस्तुओं का नाम जिनके लिए दर अनुबन्ध दरें प्रस्तुत की गई है) के लिए निविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता :– .....
   .....
3. किस को सम्बोधित किया गया है :–.....
4. सन्दर्भ :–.....
5. निविदा शुल्क की राशि .....नकद/डी.डी./बैकर्स चैक संख्या.....
   दिनांक ..... बैंक का नाम .....
6. हम ..... द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या ..... दिनांक.....के साथ संलगन सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं । (इसके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।)
7. निम्नलिखित मदों की सप्लाई के लिए अनुबन्ध दरें निम्न प्रकार होगी तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्री की मात्रा उनमें प्रत्येक के सामने अंकित की गयी है:–

क्र.सं.	सामग्री/वस्तु का नाम मय स्पेसिफिकेशन	अनुमानित मात्रा	प्रस्तुत दरें (रूपये) जी0 एस0 टी0 सहित
1	2	3	4
1	टाईप पेपर रिम 215X345 एमएम 500 शीट्स	20 रिम	
2	आलपिन पैकेट (जेब्रा/समकक्ष)	400 पैकेट	
3	स्टेपलर मशीन 10 नं.(कंगारू/समकक्ष)	50 नग	
4	स्टेपलर मशीन 45 नं. (कंगारू/समकक्ष)	50 नग	
5	फाईल लेस ग्रीन 24"	200 पैकेट	
6	फाईल टेग रंगीन 800 पीस	80 पैकेट	
7	रबड इरेजर (नटराज/कैमलीन/समकक्ष)	700 नग	
8	पेसिंल एच बी (नटराज/कैमलीन/समकक्ष)	1000 नग	
9	शार्पनर (नटराज/कैमलीन/समकक्ष)	300 नग	
10	फाईल पैड	2000 नग	

11	सुआ प्लास्टिक हत्था	200 नग	
12	फाईल लंगोट	1500 नग	
13	स्टाम्प पेड मिडीयम (अशोका/समकक्ष)	100 नग	
14	इरेजेक्स (कोरस/कैमलिन/समकक्ष)	200 नग	
15	रजिस्टर 120 पेज (बाबा रामदेव/सुमन/समकक्ष)	150 नग	
16	रजिस्टर 180 पेज (बाबा रामदेव/सुमन/समकक्ष)	150 नग	
17	रजिस्टर 240 पेज (बाबा रामदेव/सुमन/समकक्ष)	150 नग	
18	रजिस्टर 360 पेज (बाबा रामदेव/सुमन/समकक्ष)	100 नग	
19	लिफाफा 9 X 4 60 जी.एस.एम.	25000 नग	
20	लिफाफा 11 X 5 60 जी.एस.एम.	25000 नग	
21	लिफाफा लेमिनेशन 12X16 60 जी.एस.एम.	5000 नग	
22	फोटोस्टेट एफ एस रिम 70 जीएसएम (जे.के./माईच्वाईस/समकक्ष)	500 नग	
23	फोटोस्टेट ए–4 रिम 70 जीएसएम (जे.के/माईच्वाईस/समकक्ष)	3000 नग	
24	फाईल कवर लेमिनेटेड (अजय/समकक्ष)	25000नग	
25	गोंद 300 एम एल (प्रदीप/समकक्ष)	200 नग	
26	गोंद 700 एम एल (प्रदीप/समकक्ष)	50 नग	
27	स्टेपलर पिन नं0 10 (कंगारू/समकक्ष)	200 पैकेट	
28	स्टेपलर पिन नं0 45 (कंगारू/समकक्ष)	200 पैकेट	
29	लिफाफा लेमिनेशन 8X10 60 जी.एस.एम.	2000 नग	

8. कॉलम संख्या 04 में दरें जी0एस0टी0 सहित प्रति यूनिट/प्रति नग उद्दत की जानी अनिवार्य है।
9. फर्म को आदेश प्राप्त करने के दिनांक से एक सप्ताह की अवधि में सामग्री की सुपुर्दगी करनी होगी ।
10 ऊपर उद्दत की गयी दरें आदेश देने की दिनांक से एक वर्ष तक के लिए विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर नियमानुसार बढाया भी जा सकेगा ।
11 बैंक ड्राफट/बैंकर्स चैक संख्या.....जो (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है । नकद रसीद संख्या...../चालान संख्या..... दिनांक..... रूपये के लिए बयाना राशि के पेटे संलग्न किया जाता है ।
12 यदि जी0एस0टी0 फर्म नही है तो उस निविदा पर विचार नही किया जावेगा।
13 विनिमार्ता/डीलर आदि का घोषणा पत्र भी संलग्न किया जाता है ।
14 निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू0 500/– नकद/बैकर्स चैक/डी.डी. तथा धरोहर राशि रू0 16400/– का बैंकर्स चैक/डी0डी0 संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
15 दरें जी0एस0टी0 सहित अंकित करनी अनिवार्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

खुली निविदा के लिए निविदा एवं निविदा की शर्ते

(देखिए नियम 68)

टिप्पणी – निविदादाता को चाहिऐ की इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ ले ओर अपनी निविदांऐ भेजते समय इनका कठोरता से पालन करें ।

1. निविदा को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशो के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बंद किया जाना आवश्यक है ।
2. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में निविदादाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा ।

   (ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते । प्राप्ति स्वीकृति के लिए निविदादाता की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
3. जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जी0एस0टी0 में रजिस्ट्रेशन से मुक्त होने की श्रेणी में अन्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी।
4. राज्य सरकार के जी0एस0टी0 (GST) प्रावधानों/नियमों की पालना आवश्यक रूप से की जायेगी।
5. निविदा प्रारूप नीली/काली स्याही के बॉलपैन से या टकंण से ही भरा जाएगा । पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा ।
6. दरे शब्दों एवं अंको में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां (Errors) एवं या/उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर किये जाने चाहिए । दरें जी0एस0टी0 सहित दर्शानी होगी।
7. दरें जी0एस0टी0 सहित गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी आनुशांगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिए । माल की सुपुदर्गी क्रेता अधिकारी परिसरों पर दी जाएगी ।
8. विधि मान्यताः निविदायें,उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

9. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह माना जावेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेशीफिकेशन, साईज, मेक आदि की सावधानीपूर्वक जाँच करली है । यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग, स्पेशीफिकेसन आदि के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर कने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

10. निविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेंगा या उप भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा ।

11. (i) विशेष विवरण (स्पेसीफिकेशन्स) प्रदाय की गयी सभी वस्तुऐं निविदा में निर्धारित स्पेसीफिकेशन, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहाँ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसीफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, उन मदो को पूर्णरूप से उन स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होना तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए ।

(ii)चिन्ह से अंकित/क्रम संख्या.....पर अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य पदार्थो के मामले में जहाँ कोई स्तरीकृत या अनुमोदित नमूना न हो, अत्युतम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा । केता अधिकारी/क्रेता समिति का इस संबंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुऐं स्पेसीफिकेशन के अनुरूप है तथा क्या वे सैम्पल, यदि कोई हो, के अनुसार है, किया गया निर्णय निविदादाताओं के लिए अन्तिम एवं मान्य होगा।

(iii)वांरटी एवं गांरटी का खंडः निविदादाता यह गांरन्टी देगा कि माल/ स्टोर्स/ वस्तुएं खरीदे जाने वाले उस /माल/स्टोर्स /वस्तुओं की सुपुदर्गी के दिनांक से ..... दिनांक/माहों की अवधि के लिए यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवता के अनुरुप बनी रहेगी। ताकि इस तथ्य के बावजूद की क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया हो यदि ..... दिनों/माहों की उक्त अवधि में उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए है (तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी होगा), तो केता उक्त मालों/स्टोर्स/ वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जाऐगें, रद् करने के लिए अधिकृत होगा । ऐसे रद् किये जाने पर माल /स्टोर्स/वस्तु विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद् करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होगें निविदाता यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद् कर दिया गया है बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्ते के उल्लघंन के कारण उत्पन्न होगी । इसमें दी गई कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी।

12 **सैम्पलः** प्रत्येक सैम्पल या किसी स्लिप पर या तो लिखकर या नमूने के साथ एक मजबूत कागज सुरक्षित ढंग से बांधकर उसे उपयुक्त रूप में चिन्हित किया जायेगा तथा उस पर निविदादाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूचि में नमूना है, आदि लिखे जायेगें ।

13. अनुमोदित सैम्पलों को संविदा के समाप्त होने के बाद 6 माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जायेगा । इस अवधि में इन सैम्पुलों को प्रतिधारित (Retainted) किया जायेगा परन्तु उसमे किसी क्षति टूटफुट, परीक्षण, जाँच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी । निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा सैम्पलों को वापिस लिया जायेगा । सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी । संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई सैम्पल प्राप्त नहीं किये जाते है तो उन्हें सरकार द्वारा सम्प्रहत (Forefeit) कर लिया जाए तथा उनकी लागत आदि के कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

14. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किये नमूनों को इक्कठा किया जायेगा । जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उसमें किसी भी प्रकार की क्षति, टूट फुट, या परीक्षण, जाँच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी । जो नमूनें वापस नहीं लिये जायेगें उन्हें सम्प्रहत किया जायेगा । तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावें को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

15. परीक्षण प्रभारः परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जायेगें । यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण करना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरों या स्पेशीफिकेशन्स के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएगें ।

16. रद् करना (Rejection): (i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएंगी उन्हें रद् किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वार निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वंय की लागत पर बदला जाएगा ।

(ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तत्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण, या आंशिक रूप से उन वस्तुओं का बदला साध्य (feasable) नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएगें, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी ।

17. रद् की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद् करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हे वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा ।

18. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी सतुंष्टि के अनुसार नहीं की जाती है,तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है । वह इस प्रकार का निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा ।

19. निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी ।

20. (i) सुपुर्दगी अवधिः निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाएगी, वह सप्लाई आदेश की तारीख से 07 दिवस के भीतर तक निम्न प्रकार सामान की सप्लाई करने की व्यवस्था करेगाः–

क्रम संख्या	मद	मात्रा	सुपुर्दगी अविध
1.	2.	3.	4.

(ii) दर अनुबन्ध अवधि को / मात्रा को नियमानुसार (RTPP) बढाने/धटाये जाने हेतु क्रेता अधिकारी पूर्णतः सक्षम होगा।

(iii) दर अनुबन्ध अवधि/मात्रा को पारदर्शिता नियम 2013 के नियमों के अनुसार वृद्धि करने हेतु क्रेता अधिकारी पूर्णतः अधिकृत होगा।

21. बायाना राशि (अर्नेस्ट मनी):

(क)निविदा के साथ 16400/– रू. की बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी । इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा । यह राशि **निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर** के पक्ष में बैंकर्स चैक/डी.डी. में से किसी भी रूप में जमा करायी जानी चाहिए ।

(ख) बयाना राशि का प्रतिदाय (Refund of Earnest Money): असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप में स्वीकार करने के बाद यथाशक्त शीध्र लौटायी जाएगी।

(ग) बयाना राशि से छूट उन फर्मो को जो आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत है, उन मदों के संबंध में जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर निविदायें आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए निविदा के अनुमानित मूल्य के 02 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी ।

(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।

(ड) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली व रद्द की गयी संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिए बयाना राशि/ प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित पास जमा बयाना राशि/ प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिए बयाना राशि/ प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा ।

तथापि, यदि निविदाओं को पुनः आमत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है ।

22. बयाना राशि का समपहरणः बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा–

(i) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण (Modification) करता है ।

(ii) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो ।

(iii) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।

(iv) जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।

23. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and Security Deposit):

(i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य का एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाऐं स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी । यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी, 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी ।
साथ ही राजस्थान स्टाम्प अधिनियम,1998(संशोधन 2017) की अनुसूची के आर्टिकल 5 के खण्ड(एफ) के अनुसार 500/– स्टाम्प ड्यूटी प्रभारित की जायेगी।
(ii) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा । प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी ।
(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा ।
(iv) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगें –
(क) नकद/बैंक ड्राफट/बैंकर्स चैंक
(ख) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेंविग्स सर्टिफिकेटस, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिपट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो । इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा ।

(2) (i) आयुक्त, उद्योग विभाग राजस्थान के पास रजिस्ट्रकृत फर्मो को उन सामानों के संबंध में जिनमें लिए वे रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर बायाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेंगी ।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होगें ।

(3) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों से समपहत किया जाएगा–

(क) जब संविदा शर्तो का उल्लघन किया गया हो ।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो ।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा । इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा ।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एव उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

24. (i) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए भाड़ा चुका कर भेजा जाएगा । यदि सामान भेजा दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो तो प्रदाकर्ता (सप्लायर्स) के बिल में से उस भाड़े के 5 प्रतिशत दर से विभागीय प्रभारों कीभी वसूली की जाएगी ।

(ii) आर.आर. (R.R.) केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए ।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी माल को पैंसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता हे तो सम्पूर्ण रेल का भाड़ा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा ।

(iv) भुगतान करने के लिए गए प्रेषण प्रभार (Remittance charges) निविदादाता द्वारा वहन किए जाएगें।

25. **बीमाः**

(i) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएगें । यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी नाश या क्षय द्वारा या आग बाढ़ मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे युद्ध, विद्रोह, दगें आदि) द्वारा हानि से बचने के लिए बीमा करा सकेगा । यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किए जाते है तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(ii) यदि क्रेता द्वारा चाहा गया तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जाएगा । ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शखाओं से कराया जाना चाहिए ।

26. **भुगतानः**

(i) दुलर्भ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा । यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/ प्रतिष्ठित गुडस, ट्रांसपोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वितीय शक्तियों में विहित की गयी सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण यदि कोई हो, किए जाने पर दिया जाएगा । अवशेष राशि का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होनें पर तथा निविदादाता को नहीं दिए गए उस सम्बन्ध का प्रमाण पत्र निरीक्षण के समय पृष्ठांकित किए जाने पर दिया जाएगा ।

(ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएगें ।

(iii) जब विवादस्पद मदो के संबंध में, राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा ।

(iv) उन मामलो के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएगें तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम वहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होगें ।

(v) दर संविदा किए जाने के उपरांत यदि संविदाकर्ता फर्म द्वारा संविदा में सम्मिलित कोई सामग्री संविदा अवधि में राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग/कार्यालय को संविदा दर से कम दर पर आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार इस विभाग में की गयी आपूर्ति की दरें भी तदनुसार कम की जा सकेगी।

27. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विर्निदिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से फर्म ऑर्डर के प्राप्त होने से अवधि के भीतर सप्लाई करेगा ।

(ii) परिनिर्धारित क्षति (Liquidated damages): परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है–

(1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक अवधि किन्तु विहित अवधि की आधी से अनधिक के लिए 5 प्रतिशत

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत

(2) विलम्ब की अवधि में आधें दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा ।

(3) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी ।

(4) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा व कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।

(5) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियत्रंण से परे कारणों से हुई तो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी ।

28. वसूलियाः परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूटफूट, रद् किए गए वस्तुओं के लिए साधारण रुप से बिल मे से की जावेगी। कम सप्लाई टूटफूट/रदद किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय (लिक्वीडेटेड डेमेजेज) के साथ वसूली उसकी देय राशि (डयूज) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पीडी आर एक्ट या प्रवृत किसी उन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

29. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाईसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वंय की व्यवस्था करनी चाहिए।

30 यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद् कर दिया जाएगा । किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेषरूप से उल्लिखत ने किया गया हो ।

31. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्युनतम दर की निविदा की नहीं है, स्वीकार करने, बिना किसी कारण बताये किसी भी निविदा को रद् करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म /सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा ।

32. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः–

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति ।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ कामर्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर ।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ।

33. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation) आशय या संविदा की शर्तो के उल्लघंन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप–अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

34समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी ।

क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने किसी भी निविदा के बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने और किसी भी निविदा को रद्द करने या किसी या अधिक वस्तुओं जिसके लिए निविदा दी गयी है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक के अधक वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

एस.आर. प्रारूप–11

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम धोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/ उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल सैलिंग/विपणन एजेण्ट हूं/ हैं ।

यदि यह धोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नोट :–

1- जो लागू न हो उसे काट दें ।

2- कृपया घोषणा के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करें ।